पूजा करने की स्वतंत्रता : सबरीमाला के फैसले पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

29 सितम्बर, 2018

द हिन्दू

''शीर्ष न्यायालय ने सबरीमाला के फैसले के साथ संविधान की परिवर्तनीय शक्ति को रेखांकित किया है।''

हमारा संविधान धार्मिक स्वतंत्रता को दो तरीकों से सुरक्षित करता है। यह एक व्यक्ति को धर्म का प्रचार करने, अभ्यास करने और प्रसार करने के अधिकार की रक्षा करता है और यह अपने स्वयं के मामलों को प्रबंधित करने के लिए हर धार्मिक संप्रदाय को समान सुरक्षा प्रदान करता है।

कोर्ट ने साफ कहा है कि हर उम्र वर्ग की महिलाएं अब मंदिर में प्रवेश कर सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से फैसला दिया कि हमारी संस्कृति में महिला का स्थान आदरणीय है। यहां महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है और मंदिर में प्रवेश से रोका जा रहा है।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने फैसला पढ़ते हुए कहा, 'धर्म के नाम पर पुरुषवादी सोच ठीक नहीं है। उम्र के आधार पर मंदिर में प्रवेश से रोकना धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है।' फैसला पढ़ते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि भगवान अयप्पा के भक्त हिंदू हैं, ऐसे में एक अलग धार्मिक संप्रदाय न बनाएं।

कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत प्रवेश पर बैन सही नहीं है। संविधान पूजा में भेदभाव नहीं करता है।

इस फैसले के बाद विशिष्ट संप्रदाय विशेष के मंदिरों की अवधारणा को दोबारा लिखने की जरूरत है। आर्टिकल 17, जो छुआछूत को लेकर है, उसे विस्तार दिया गया है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने शानदार फैसला सुनाया है।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता को भी एक अधिकार के तौर पर देखने की जरूरत है। इस स्वतंत्रता में संवैधानिक नैतिकता भी शामिल है और यह महज समानता को लेकर नहीं है।

धार्मिक मामलों को इतना संवेदनशील बना दिया गया है कि उनमें किसी प्रथा पर सवाल उठाना एक जोखिम से कम नहीं होता है। सबरीमाला की तरह देश के कई मंदिरों में अलग-अलग वजहों से महिलाओं का प्रवेश वर्जित माना जाता रहा है।

हालांकि धार्मिक मान्यताओं और उससे जुड़ी पारलौकिक धारणाओं के मामले में ऐसे भेदभाव को भी सहजता से स्वीकार किया जाता है और इन पर आपत्ति जताना किसी परंपरा की कथित पवित्रता को भंग करने की तरह देखा जाता है।

हालांकि इस पीठ में से जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने अपनी असहमति दर्ज की और धार्मिक रिवाजो के बीच में न्यायिक हस्तक्षेप को गैरजरूरी बताया। लेकिन चार जजों ने इस मसले पर जो राय जाहिर की, उसकी अपेक्षा किसी भी प्रगतिशील समाज को होगी।

अदालत ने साफतौर पर कहा कि सभी को बिना किसी भेदभाव के मंदिर में पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए; जैविक आधार पर किसी को भी मंदिर में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता।

न्यायमूर्ति डी.वाई.54 चंद्रचूड़ ने कहा कि अशुद्धता के पारंपरिक विचारों के आसपास निर्मित कलंक का संवैधानिक आदेश में कोई जगह नहीं है और अशुद्धता की धारणा के आधार पर बहिष्कार करना अस्पृश्यता का एक रूप है।

* * *

सबरीमाला मुद्दा

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी है।
- कोर्ट ने साफ कहा है कि हर उम्र वर्ग की महिलाएं अब मंदिर में प्रवेश कर सकेंगी।

क्यों था प्रवेश वर्जित?

- केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 साल से 50 साल की उम्र की महिलाओं के जाने पर रोक थी। खासकर 15 साल से ऊपर की लड़कियां और महिलाएं इस मंदिर में नहीं जा सकतीं।
- यहां सिर्फ छोटी बच्चियां और बूढ़ी महिलाएं ही प्रवेश पर कोई मनाई नहीं है। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी थे।
- ऐसे में युवा और किशोरी महिलाओं को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब महिलाएं इस मंदिर में प्रवेश कर सकती है।

पृष्ठभूमि

- केरल के सबरीमाला मंदिर का अपना एक अलग महत्त्व है। यहां भगवान शिव के तीसरे पुत्र और विष्णु की अवतार मोहिनी के बेटे भगवान अयप्पा की पूजा अर्चना होती है।
- दुनिया के बड़े तीर्थ स्थलों में ये भी एक है।
- सबरीमाला मंदिर में परंपरा के अनुसार, 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है।
- मंदिर ट्रस्ट के अनुसार, यहाँ 1500 साल से महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। इसके लिये कुछ धार्मिक कारण बताए जाते हैं।
- केरल के यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने इस प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2006 में पीआईएल दाखिल की थी।
- सबरीमाला मंदिर में हर साल नवंबर से जनवरी तक श्रद्धालु अयप्पा भगवान के दर्शन के लिये जाते हैं, इसके अलावा पूरे साल यह मंदिर आम भक्तों के लिये बंद रहता है।
- भगवान अयप्पा के भक्तों के लिये मकर संक्रांति का दिन बहुत खास होता है, इसीलिये उस दिन यहाँ सबसे ज्यादा भक्त पहुँचते हैं।
- पौराणिक कथाओं के अनुसार, अयप्पा को भगवान शिव और मोहिनी (विष्णु जी का एक रूप) का पुत्र माना जाता है।

प्रतिबंध के पक्ष में तर्क

- सबरीमाला में भगवान अयप्पा की एक नास्तिक ब्रह्मचारी के रूप में पूजा की जाती है और यह दैवीय सिद्धांत की दृष्टि से एक तांत्रिक क्रिया है न कि वैदिक।
- तांत्रिक व्यवस्था में यह मंदिर एक प्रार्थना कक्ष नहीं है बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है, जहाँ देवता ईश्वर नहीं, बल्कि एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है।
- प्रत्येक मंदिर की अपनी विशिष्टता है और यही विशिष्टता उस मंदिर की आत्मा भी है। इस दृष्टि से सबरीमाला की इस विशिष्टता को बनाए रखना होगा।
- ऐसा नहीं है कि इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक है, वास्तव में प्रतिवर्ष इस मंदिर में आने वाली महिला श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में है, प्रतिबंध केवल उन्हीं महिलाओं के प्रवेश पर है जिनकी आयु 10 से 50 वर्ष के बीच है।

प्रवेश निषेध के विपक्ष में तर्क

- सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की प्रवेश को 'शुद्धता' के एक तर्कहीन और अप्रचलित धारणा के आधार पर प्रतिबंधित करना स्पष्ट रूप से संविधान में वर्णित समानता के प्रावधानों के विरुद्ध है।
- इस प्रकार के प्रतिबंध लैंगिक समानता बहाल करने की दिशा में प्रतिगामी कदम हैं।
- यह प्रतिबंध एक पितृसत्तात्मक समाज और महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण का परिचायक है।
- यह प्रवेश निषेध अनुच्छेद-14 (समानता), अनुच्छेद 15 (लिंग आधारित भेदभाव की मनाही) और अनुच्छेद 17 (छुआछूत की मनाही) का उल्लंघन है।
- साथ ही यह संविधान के अनुच्छेद-25 द्वारा प्रदत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन है।
- नारीत्व और इससे संबंधित जैविक विशेषताओं के आधार पर यह प्रवेश निषेध महिलाओं के लिये अनादरसूचक है, जबकि अनुच्छेद 51 ए (ई) में महिलाओं को गरिमामय जीवन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
- सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की प्रवेश को 'शुद्धता' के एक तर्कहीन और अप्रचलित धारणा के आधार पर प्रतिबंधित करना स्पष्ट रूप से संविधान में वर्णित समानता के प्रावधानों के विरुद्ध है।
- इस प्रकार के प्रतिबंध लैंगिक समानता बहाल करने की दिशा में प्रतिगामी कदम हैं।
- यह प्रतिबंध एक पितृसत्तात्मक समाज और महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण का परिचायक है।
- यह प्रवेश निषेध अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 15 (लिंग आधारित भेदभाव की मनाही) और अनुच्छेद 17 (छुआछूत की मनाही) का उल्लंघन है।
- साथ ही यह संविधान के अनुच्छेद-25 द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन है।
- नारीत्व और इससे संबंधित जैविक विशेषताओं के आधार पर यह प्रवेश निषेध महिलाओं के लिये अनादरसूचक है, जबकि अनुच्छेद 51 ए (ई) में महिलाओं को गरिमामय जीवन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत में धार्मिक अभिवृद्धि की स्वतंत्रता संविधान द्वारा प्रदत्त है।
2. धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता संविधान द्वारा प्रदत्त है।
3. धार्मिक मामलों के प्रबंधन के भेदभाव में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2
(b) 2 और 3
(c) 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. मंदिरों में प्रवेश संबंधी अशुद्धता की अवधारणा अस्पृश्यता का एक रूप है।
2. संविधान के अनुच्छेद-27 के तहत मंदिर में प्रवेश पर निषेध उचित नहीं है।
3. धार्मिक स्वतंत्रता के तहत बिना भेदभाव के पूजा का अवसर भी शामिल है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2
(b) 1 और 3
(c) 2 और 3
(d) उपर्युक्त सभी

नोट- 28 सितम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a), 2(c), 3(d) होगा।

GS World
Dedicated To Excellence

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. ''मंदिरों में महिलाओं के पूजा करने की स्वतंत्रता का न होना न केवल पुरूषवादी सोच का पोषक है, वरन् संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का भी हनन है।'' व्याख्या करें। (250 शब्द)